1	2
31. Mr. S. K. Tuli (1520)	
32. Mr. Inder Bal Singh (1521)	
33. Mr. K. D. Narayan (1523)	
34. Mr. Gurmesh Chadha (1522)	
35. Mrs. V. Mohini Giri (1524)	
36. Mr. S. N. Saklani (1527)	
37. Mrs. Sarla Sethi (1529)	
38. Mr. J. C. Kwatra (1530)	

श्री शंकरसिंह जी वाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मथुरा रोड पर जो न्यू फ्रेंड्स काआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है, मेरे ख्याल से वहां पर ब्रह्मचारी स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज सेवा कर रहे है । सन् 1974 में इस सदन में यह मामला उठाया गया था और उस समय डी०डी०ए के जो चैयरमेन थे वे मेरे ख्याल से लैफ्टिनेन्ट गवर्नर थे । डी०डी० ए के कुछ नियम जमीन देने के बारे में थे लेकिन उन सब नियमों को ताक पर रख कर बड़े-बड़े अफसरों और अन्य पालीटीकल लीडर्स को जमीनें और प्लाट्स दे कर लाभांवित किया गया । अगर भारत सरकार के बड़े-बड़े अफसर भारत की राजधानी में केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे सस्ती दर पर जमीन हथियाने पर तुले हुए हों, तो यह बर्दाशत नहीं होना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1974 को लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने 100 नये मेम्बर बनाने की इजाजत दी थी या नहीं ? 26 जनवरी का दिन छट्टी का दिन था लेकिन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर साहब ने 60 नये मेम्बरों को सोसाइटी का मेम्बर बनाया । उन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी टिप्पणी दी हैं । बाद में 21 मेम्बरों ने अपनी मेम्बरशिप वापस ले ली । जिन 21 मेम्बरों ने अपनी मेम्बरशिप वापस ली है उन के नाम क्या हैं ? क्या उन में भूतपूर्व मंत्री, उन के परिवारों के कुछ सदस्य और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ?उन के नाम मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह दुरुस्त है कि इस बारे में कुछ शिकायत थी और 21 मेम्बरों ने नाम वापस ले लिये हैं । इसलिए वे इंक्वायरी के आबिट में नहीं आते हैं । मेरे पास उन के नाम नहीं हैं ।

श्री शंकरसिंह जी वाघेला : जिन व्यक्तियों ने अवैध रूप से इस सोसाइटी का मेम्बर बनना चाहा और जिन व्यक्तियों ने मेम्बर बनाना चाहा, उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई । मेरे स्पष्ट प्रश्न का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने इस के बारे में क्या निर्णय दिया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : दोबारा मैं यह अर्ज कर दूं कि जिन लोगों की मेम्बरशिप गलत साबित हुई है उन के खिलाफ कार्यवाही हुई है । 60 में से 21 ने अपनी मेम्बरशिप वापस ले ली है और 39 में से एक की मेम्बरशिप दुरुस्त पाई गई और 38 आदमियों की मेम्बरशिप को गलत करार दिया गया और मेम्बरशिप खारिज कर दी गई ।

Narmada River Tribunal

*506. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 69 on the 13th June, 1977, regaring Narmada Dam Project and state:

(a) how long will the proceedings of the Narmada River Tribunal remain pending; and

(b) will the award be binding on all the States concerned?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The report of the Narmada Water Disputes Tribunal is likely to be available in a year or thereabouts.

(b) Yes, Sir.

SHRI HITENDRA DESAI: This is a very important question which relates to inter-State disputes. Section 6 of the Inter-State Water Disputes Act lays down that the decision shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be given effect to by them. Therefore, a situation may arise when the State or States do not want to implement the award. I would, therefore, like to know from the hon. Minister, whether the Government of India will implement the award and remove all hurdles in the way of implementation, whether they are technical, legal or even financial.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Section 6 of the Act provides that the Central Government shall publish the decision of the Tribunal in the Official Gazette and the decisions shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be given effect to by them. In consequence of this, the State Governments who are parties to the dispute have to implement the award.

SHRI HITENDRA DESAI: My question was, if they do not want to comply with the same, will the Government of India see that it is implemented?

The Narmada is the largest river flowing westward in Central India which has not been harnessed so far. Actually negotiations were taking place between the various Chief Ministers of the respective States and the hon. Minister might be able to know that soon after the Fourth General Elections, actually the matter was settled between myself as the Chief Minister of Gujarat and the then Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri D. P. Mishra. Even now when negotiations were going on, some minor issues have been settled. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether he would in the circumstances, as the Tribunal may take more time for the award and there may be difficulties in the implementation of the award, assure the House that he will undertake:

(a) to arrive at an agreed solution between the respective States, and

(b) to permit the Government of Gujarat to start the work of construction of the foundation so that no further time is wasted.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: A compromise was reached in March 1975. It was agreed that the development of the Narmada waters should no longer be delayed in the best national interests. The parties to the dispute, therefore, agreed to co-operate with the Tribunal in giving the decision at the earliest because that was delayed by the concerned parties themselves. For some time they had gone in a writ to the Supreme Court and a stay order was obtained. Like that the matter was delayed. Then it was settled that without prejudice to the decision of the Narmada Waters Dispute Tribunal and also without prejudice to the claims of the parties, viz., the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan:

(1) that Gujarat may go ahead with the construction of Kanjan, Lambin. . .

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: The hon Member's question was something different.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: This was the agreement.

SHRI HITENDRA DESAI: I would first like to know whether the Government of India would grant permission to start constructon of the foundation of the Navagam dam. That was my question.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Regarding that, my submission is that unit it is decided by the Tribunal as to upto what height the dam has to go construction cannot be allowed to be started.

Shri HITENDRA DESAI: The foundation has nothing to do with the height.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: No, no. It has got everything to do. If the height goes upto 500 ft or thereabout, then the foundation has to be very broad. If it is to be only 300 ft, then it can be narrow.

SHRI HITENDRA DESAI: What objection can you have if the government of Gujarat is prepared to do it at its own cost?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Then they will be incurring a lot of avoidable extra expenditure.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Sir, the Minister is new to the subject. Even when there were disputes between Maharashtra, Karnataka, Orissa, Madhya Pradesh and the Andhra Pradesh regarding the Godavari and Krishna waters, foundations were laid with regard to Nagarjuna Sagar and also the Pochampahad projects and construction also started. And as a matter of fact, water was also let out.

When the previous government has done so much to reconcile the different interests of the various States, why is it that government is not in a position to tackle even one single river water dispute? I want to know the reason. What is the difficulty in allowing the foundation to be raised and also to get the work started on the dam?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I may say that though I am new to the subject, I am conversant with the subject raised in the question.

In this case, particularly, I would submit that the main dispute is the height of the Navagam Dam. That is the main dispute between the contending parties. Unless that is settled, nothing further can be allowed.

श्री निर्मल चन्द्र जैन : जबलपुर के पास बरगी बांध अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है । जबकि नवगांव बांध की ऊंचाई का उससे कोई संबंध स्थापित नहीं होता है । जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की इस कारण से बड़ी असुविधा हो रही है । ऐसी स्थिति में क्या आप बागी बांध के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ाने की कोरवाई करने के आदेश देंगे ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Vargiband question does not arise out of this question. I have mentioned those projects which arise from this.

श्री सोमजीभाई डामोर : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया और माननीय राम गोपाल रेड्डी ने जो सवाल किया उसका मंत्री महोदय ने पूरा जवाब नहीं दिया । बात यह है ट्राइब्युनल का फैसला तो बहुत देर तक आने वाला है जब कि फाउन्डेशन डालने के लिये गुजरात सरकार तैयार है अपने खर्च पर तो उसको इजाजत दी जायगी कि नहीं यह सवाल है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया था कि झगड़ा ही इस बात का है कि बांध कितना ऊंचा जायगा । उस पर सारी चीज डिपेंड करती है कितना ऊंचा बांध जायगा, कितना रिजर्वेयर बनेगा और कहां से नहर निकलेगी ।

These are the main points and main features of this dam. They are to be decided. It is likely to take about a year.

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : मध्य प्रदेश असेम्बली में मैं 1969 में उप-चुनाव में चुन कर आया, यही नर्मदा विवाद उस समय भी चला । झगड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश का इस बात को ले कर है कि ऊंचाई 500 फीट हो या 300 फीट । 300 फीट ऊंचाई पर मध्य प्रदेश तैयार है क्योंकि 300 फीट ऊंचाई होने से मध्य प्रदेश के दो जिले सम्पूर्ण जलमग्न हो जाते हैं और उनको वहां से उठाकर दूसरी जगह बसाना बड़ा कठिन है । इसलिये यह विवाद मेरी जानकारी में 1969 से ले कर अभी तक उसी बात को ले कर चल

रहा है। क्या मंत्री महोदय इसके निर्णय के पहले मध्य प्रदेश के उन दो जिलों पर ध्यान देंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यही बात है जो मैं कह रहा था कि झगड़ा ही इस बात का है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : नर्मदा का सवाल नहीं है, इस देश में जितने भी वाटर डिसप्यूट है वह ट्राइब्यूनल पर छोड़ दिये गये है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि ट्राइब्यूनल में 20 साल से प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिस से देश को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्री जी जल्दी ही संबंधित मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, जैसे माननीय जगजीवन राम जी ने बुलाकर झगड़े सैटिल करने की कोशिश की, वैसे ही आप करने जा रहे है ? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोसीडिंग्स 100 साल तक चलती रहेंगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो डिसप्यूट्स ट्राइब्यूनल के सामने नहीं हैं उनको हम ऐसे सैटिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसप्यूट्स के लिये मैं ने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है और उनसे मिलूंगा और मिल कर सैटिल करने की कोशिश करूंगा।

श्री शरद यादव : जो नर्मदा योजना का झगड़ा है और उसके बांध की ऊंचाई का जो मसला है इसका बरगी डैम जो जबलपुर के पास है उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन 4, 6 साल से जो सहायता दी जा रही है वह इतनी कम है कि वहां जो अधिकारी बैठे हुए हैं तमाम पैसा उन्हीं पर चला जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप उसकी सहायता को बढ़ायेंगे क्या ? और यदि नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या कारण है ? क्योंकि उस डैम का संबंध कतई नहीं है जो नर्मदा का मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है, उसकी ऊंचाई के साथ इस डैम का कोई संबंध नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि डैम बन जाने के बाद, हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की मामला पड़ा हुआ है जिसकी वजह से अनाज की कमी हर बार होती है, उस के बन जाने के बाद दिक्कतें बहुत कम होंगी। तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि आप वित्तीय सहायता को तत्काल बढ़ायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बरगी के बारे में अलग से सवाल कर दे, मैं सारी सूचना आपको दे दूंगा।

चौधरी बलबीर सिंह : 70 प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं उनको ऐक्सपैडाइट करने के लिये मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो सवाल नर्मदा से संबंधित है उस पर मैंने मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित लोगों को बुलाया है।

Setting up of National Commission for Housing Programme

*507. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there was a proposal for setting up of a national commission to study various facts of housing policy and programmes;

(b) if so, the stage at which the said proposal is; and

(c) the salient features of the proposal and when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided not to pursue the proposal.

(c) Does not arise.